

पेशा हो।

8/9/22

पत्रावली पेशा हुई वकील पत्रकारान
उपस्थित ही बहस प्रा० पत्र १-२-२०
शही पत्रावली वाम्ने आदेश दिनांक
28/9/22 को पेश हो।


28/9/22

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित
ही बहस प्रापना पत्र १-२-२० में वकील
प्रार्थी ने अपने प्रापना पत्र में वगिति
तथ्यों को दोहराया। ग्राम जजावर की
भूमि खसरा संख्या ५१८७/१० रुबा
१.६१८० हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी रिकार्ड
खातेदार दर्ज ही जिस पर अप्रार्थीगण
से। लगायत ५ को किसी प्रकार के अनुचित
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
अतः प्रार्थी रिकार्ड खातेदार होने के
कारण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष
में साबित होता है रिकार्ड खातेदार
होने के कारण अपूर्णनीय क्षति एवं
क्षुब्धता सन्तुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के
पक्ष में साबित होता है।
अतः प्रापना पत्र, रिकार्ड दस्तावेज
वहस वकील प्रार्थी तथा उक्त विवेचन
के आधार पर प्रार्थी का प्रापना पत्र
अन्तर्गत धारा २१२ RT Act द्वारा
किया जाता है ग्राम जजावर की भूमि
खसरा सं. ५१८७/१० रुबा १.६१८० हेक्टेयर

भूमि के
सला
यचारिन्वति
निषेधाज्ञा
निर्णय
पत्रावली
संलग्न

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

श्रीमि के सम्बन्ध में अपाधिकारिण को
तार्किकता वाद में एवं रिफार्ड की
यथारिन्धति बनाए रखने हेतु अस्थायी
निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।
पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ
संलग्न रहे।


उपअधीक्षक अधिकारी
बैनवां (बून्वी)